

**न्यायालय:-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क्र.-1186 / 2016

संस्थित दिनांक-04.11.2015

फाईलिंग नं.-234503015802015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

1. अमरदीप पिता पुरुषोत्तम यादव उम्र 23 साल जाति अहीर,
निवासी-ग्राम छपारा, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2. शंकरलाल पिता फागूलाल हिरवाने, उम्र-48 साल जाति कलार,
निवासी-ग्राम बंजारीटोला, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपीगण**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-13/07/2016 को घोषित)

1— आरोपी अमरदीप के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 तथा आरोपी शंकरलाल के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180, 146/196 के तहत आरोप है कि आरोपी अमरदीप ने दिनांक-05.10.2005 को 4.30 बजे ग्राम सीताडोंगरी के स्कूल के पास अन्तर्गत थाना बैहर में लोकमार्ग पर हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल क्रमांक-सी.जी-04/सी.बी-9032 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को बिना चालक अनुज्ञप्ति(ड्राईविंग लायसेंस) के चालन किया, उक्त वाहन को बिना बीमा के चालन किया तथा आरोपी शंकरलाल ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना चालक अनुज्ञप्तिधारी (ड्राईविंग लायसेंस) चालक को चलाने दिया, उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाने दिया।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस थाना बैहर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक योगेन्द्र चौहान को बैहर अस्पताल से लिखित तहरीर प्राप्त हुई और जांच के दौरान साक्षी उर्मिला, सहदेव के कथनों से यह जानकारी हुई कि दिनांक-05.10.2015 को शाम 4:30 बजे स्कूल की छुट्टी होने पर घर जाते समय मोटरसाईकिल क्रमांक-सी.जी-04/सी.बी-9032 के चालक अमरदीप ने तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर सौरभ को टक्कर मार दी, जिससे उसे बाएं पैर के टखने एवं बांय हाथ की कोहनी में चोट आई थी। उपरोक्त आधार पर आरोपी वाहन चालक अमरदीप तथा वाहन

स्वामी शंकरलाल के विरुद्ध अपराध क्रमांक-150/15, धारा-279, 337 भा.दं.वि. एवं धारा-184, 3/181, 146/196, 5/180 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी अमरदीप को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 तथा आरोपी शंकरलाल को मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180, 146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत सौरभ की ओर से उसके विधिक संरक्षक पिता कुंवरसिंह ने आरोपीगण से राजीनामा किया। अतः आरोपी अमरदीप को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 5/180, 146/196 के शमनीय न होने से आरोपी अमरदीप के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 व मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 तथा आरोपी शंकरलाल के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180, 146/196 के विरुद्ध विचारण किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या आरोपी अमरदीप ने दिनांक-05.10.2005 को 4.30 बजे ग्राम सीताडोंगरी के स्कूल के पास अन्तर्गत थाना बैहर में लोकमार्ग पर लोकमार्ग पर हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल क्रमांक-सी.जी-04/सी.बी-9032 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी अमरदीप ने उक्त वाहन को बिना चालक अनुज्ञप्ति(ड्राइविंग लायसेंस) के चालन किया ?
3. क्या आरोपी अमरदीप ने उक्त वाहन को बिना बीमा के चालन किया ?
4. क्या आरोपी शंकरलाल ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना चालक अनुज्ञप्तिधारी (ड्राइविंग लायसेंस) चालक को चलाने दिया ?
5. क्या आरोपी शंकरलाल ने उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाने दिया ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निष्कर्ष :-

5- अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी कुंवरसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। आहत सौरभ उसका पुत्र

है। घटना दिनांक-06.10.2015 को उसका पुत्र स्कूल से लौट रहा था, तब उसके पुत्र की दुर्घटना हो गई थी, जिससे उसके पुत्र के पैर व हाथ की कोहनी पर चोट आई थी। उसे दुर्घटना की सूचना स्कूल के अन्य बच्चों ने दी थी। उसके पुत्र का बैहर अस्पताल ईलाज हुआ था।

6— अभियोजन साक्षी सौरभ (अ.सा.2) ने कहा है कि स्कूल की छुट्टी होने पर वह दौड़कर स्कूल से निकला था और रोड पर एक वाहन से टकरा गया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी ने तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर उसे टक्कर मारी थी। साक्षी ने कहा है कि उसने वाहन का नंबर अथवा वाहन कौन चला रहा था, यह नहीं देखा था। प्रकरण में फरियादी आहत सौरभ ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह कहा है कि घटना दिनांक को वह दौड़कर स्कूल से निकला था। आरोपी द्वारा उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से वाहन नहीं चलाया गया था। ऐसी स्थिति में आरोपी अमरदीप द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का अपराध किये जाने के तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाते। अतएव आरोपी अमरदीप को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2,3,4 व 5 का निष्कर्ष

7— अभियोजन साक्षी योगेन्द्र सिंह चौहान (अ.सा.3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-05.10.2015 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर में सी.एच.सी. बैहर से अस्पताल तहरीर प्राप्त होने पर तहरीर जांच उपरांत दिनांक-06.10.2015 को आरोपी अमरदीप यादव एवं शंकरलाल अपराध क्रमांक-185/15, धारा-279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 आरोपीगण के विरुद्ध तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-05.10.2015 को आहत सौरभ पिता कंवरसिंह सी.एच.सी. बैहर का मुलाहिजा फार्म भरकर भिजवाया था, जो प्रदर्श पी-2 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-06.10.2015 को साक्षी सहदेव की निशानदेही पर घटनास्थल का मौके का नक्शा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उर्मिला पति कुंवरसिंह, सहदेव एवं दिनांक-02.11.2015 को साक्षी कन्हैयालाल, करुणा एवं अनिताबाई के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक-20.10.2015 को आरोपी अमरदीप से गवाह प्रतापसिंह एवं प्रेमसिंह के समक्ष एक हीरो होण्डा मोटर साईकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर सी.जी-04/सी.वी-9032 है, जो शंकरलाल पिता फागूलाल हिरवाने रायपुर के नाम पर पंजीकृत है, मय दस्तावेजों के जप्त किया था, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 है, के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर आरोपी अमरदीप

के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को जप्ती गवाहों के समक्ष ही आरोपी अमरदीप का उपस्थिति पंचनामा तैयार किया गया था जो प्रदर्श पी-5 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-16.11.2015 को जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण सचिन पिता नान्हूलाल ताराम से करवाया गया था, जो प्रदर्श पी-6 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर परीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर हैं।

8— प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि अस्पताल से प्राप्त तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने सहदेव के बताए अनुसार मौकानक्शा तैयार किया था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि उसने आरोपी से मोटरसाईकिल जप्त नहीं की थी।

9— आरोपी शंकरलाल पर मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180 तथा 146/196 के अंतर्गत दण्ड किये जाने का अभियोग है। दुर्घटना वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक-सी.जी-04/सी.बी-9032 से नहीं हुई थी, यह बचाव पक्ष का आधार नहीं है। दुर्घटना के समय आरोपी अमरदीप वाहन नहीं चला रहा था, यह आधार भी आरोपी ने अपने बचाव में नहीं लिया है। इस प्रकार दुर्घटना दिनांक को आरोपी अमरदीप वाहन चला रहा था और वह वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक-सी.जी-04/सी.बी-9032 को अनुज्ञप्ति होने से चला रहा था, इस संबंध में ड्राइविंग लायसेंस अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। दुर्घटना वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक-सी.जी-04/सी.बी-9032 से हुई थी, यह बात भी अभिलेख से प्रकट हो रही है एवं दुर्घटना के दौरान उस वाहन का बीमा था, इस संबंध में दस्तावेज अभिलेख में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। ऐसी स्थिति में यह माना जावेगा कि दुर्घटना दिनांक को वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक-सी.जी-04/सी.बी-9032 का बीमा नहीं था एवं आरोपी अमरदीप ने बिना वैध लायसेंस के उपरोक्त वाहन को चलाया था। यह भी माना जावेगा कि वाहन के पंजीकृत स्वामी शंकरलाल ने उपरोक्त वाहन को बिना वैध लायसेंस धारक व्यक्ति को चलाने के लिए दिया था। ऐसी स्थिति में आरोपी अमरदीप के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181 तथा 146/196 तथा आरोपी शंकरलाल पर मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180 तथा 146/196 का अपराध किये जाने के तथ्य संदेह से परे प्रमाणित पाए जाते हैं। अतएव आरोपी अमरदीप को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181 व 146/196 तथा आरोपी शंकरलाल पर मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180 तथा 146/196 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। आरोपीगण को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है:-

1. आरोपी अमरदीप को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181 के अपराध के लिये 100/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में आरोपी अमरदीप को 3 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

2. आरोपी अमरदीप को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-146/196 के अपराध के लिये 200/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में आरोपी अमरदीप को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

3. आरोपी शंकरलाल को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-5/180 के अपराध के लिये 100/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में आरोपी शंकरलाल को 3 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

4. आरोपी शंकरलाल को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-146/196 के अपराध के लिये 200/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में आरोपी शंकरलाल को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

10- प्रकरण में आरोपीगण अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहें हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

11- प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

12- आरोपीगण को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

13- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक-सी.जी-04/सी.बी-9032 सुपुर्ददार शंकरलाल पिता फागूलाल, उम्र-48 वर्ष, जाति कलार, निवासी बंजारीटोला, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है जो उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

**निर्णय खुले न्यायालय में घोषित
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित
किया गया।**

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही/-

**बैहर
दिनांक-13.07.2016**

**(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, म0प्र0**